फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ

मोहनलाल बनाम **गायत्री**

प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट. नम्बर 95 सन–2024

तरीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुकम का तामील में जारी हुए
15.05.2024	वकील सायल ने यह प्रार्थना –पत्र सायल की ओर से पेश किया प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर वकील सायल को स्थगन प्रार्थना पत्र पर एकपक्षीय सुना गया प्रस्तुत रिकार्ड /दस्तावेजात /शपथ पर का अवलोकन किया गया प्रथम दृष्टया प्रकरण, सूविधा का सन्तुलन , अपूर्णीय क्षति का बिन्दु सायल के पक्ष में प्रतीत होता है अतः प्रस्तुंत दस्तावेज एवं शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जाता है कि रोही मौजा चक 3 बारानी के खाता संख्या 598/505 की कुल 15.5430हैक भूमि जो मुश्तरका खाते मे दर्ज है में से विशेष हिस्से का बेचान आगामी तारीख पेशी नही करे प्रार्थी आदेश 39 नियम 3 सीपीसी की पालना सुनिश्चित करें, इस सम्बन्ध में अप्रार्थीगण कों कोई उज्र एतराज हो तो असालतन या वकालतन इस न्यायालय में उपस्थित होकर वजह जाहिर करे । अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस रजिस्टर्ड डाक से तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 07.06.2024 को पेश हो। Sd/- सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर	TJ
7.6.24	~~वकील सायल सायल उपस्थित निवेदन किया की हम पक्षकारो का आपस में राजीनामा हो गया है इसलिये नही चलाना चाहते सायल स्वयं के द्वारा अपना प्रार्थनापत्र नही चलाने के कारण खारिज किया जाता है पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।~~ Sd/-	

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:50:06 IST
Reason: SelfAttested